



कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, **2** (05962) 231099 Fax : 230397 पत्रांक – 2499 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 13 3 2023.

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- विषय :— जनपद— अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगेर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं० ०८ बी / यू०सी०पी० / ०६ / २६ / २०२० / एफ०सी० / २८०० दिनांक ०६.०३.२०२० ।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ने सूचित किया है। इन्हें तीन प्रतियों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा) वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

48

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा दूरमाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

दिनांक

01-3-

.2023

सेवा में,

पत्रांक

4350 12-1(2) sterilist

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगेर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/26/2020/एफ0सी0/2860 दिनॉक 06.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :--

क्र.	आपत्ति	निराकरण
सं.		
1	As per DSS analysis of CA area it is found that KML	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त
1	file of 3.20 ha is found uploaded in place of 3.85	मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम चौना, त0
	ha, out of which 2.00 ha area is falling in MDF	व जिला अल्मोड़ा में 3.850 है0 भूमि चयनित कर ली
	proposed in civil and soyam land. State Goverment	गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रपत्र पार्ट । के एल०
	may upload KML file of 3.85 ha and submit the	सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं।
	plantation scheme in lieu of area falling in MDF.	
2	Working plan details area incomplete and incorrect	आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन कर दिया गया है।
	at para 5 of Part II State Goverment may provide	
Ĺ	correct information in this regard	
3	Details filled at para 7 Part II regarding found	प्रस्तावित मोटर मार्ग आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरता
	incorrect. State Government may provide the	है, जिस कारण वन भूमि से दूरी 0 अंकित की गयी है,
	correct information against para 7. Part II Le.	जोकि सही है।
	"Approximate distance of the proposed site for	
	diversion from boundary of forest (in km.)	
4	It is seen that DFO has not made any comment	Site Inspection Report में प्रभागीय वनाधिकारी की
	against para 5.3 in Site Inspection Report. State	संस्तुति पूर्व से की गयी है, जिसे सत्यापित कर पुनः
	Government may submit the Site Inspection	प्रेषित किया जा रहा है।
	Report after ensuring that the	
	comments against each para have been made.	
5	One road is seen constructed towards southern	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि
	side of the target village which could have been	ग्रामवासियों द्वारा एक मार्ग का निर्माण करवाया गया है
	extended upto the target village to avoid forest	जो लो०नि०वि० के मानकों के अनुसार नही हैं, जिसमें
	land in general and 1773 ha of RF land in	मोटर मार्ग निर्माण किया जाना संभव नही है।
	particular. State Government may submit detailed	
	justification in this regard.	

D:\2- data transfer\Land transfer letter 2022 docx

तिभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ना का औचित्य एवं आवश्यकता के बारे में ते तैयार कर पार्ट । के सैक्शन डी0 में अपलोड ग गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य
वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण ही चयनित वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावित किया
विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग में राजस्व ग्राम मुझोली के ग्रामवासी त होते है। वी0एल0सी0 मीटिंग के प्रपत्र ठीक ो गये हैं।
रेफरेन्स मैप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर Iत किया जा रहा है।
विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा की गणना 6 मी0 चौड़ाई में करते हुये मलवा ा योजना पार्ट। के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु में अपलोड कर ली गयी है।

भवदीय, . जिम्में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

<u> शास्त्र</u>म-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

- A proposal has been received by this office from E.E. P.D. P.W.D. Almora. diversion under FCA-1980) of 1935 he of forct land for non-torestry purpose. The project envisages the of forest land for construction of timesta the the moments the sit inspection of the land involved in the proposal has been done by me dated 22- 2- 2018
- On inspection of the site it is found that the land required by the user agency is a RE/PE/un-classed 5.2
- The requirement of forest land as proposed by the used agency in co 1.2 part-1 is unavoidable and is 5.3 barest minimum required for the project.
- Whether any rare/endangered/unique species of flora found in the area. U, so the details there of :- No 5.4
- xx Whether any protected archeological/heritage/site/defence establishment or any other important 5.5 monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required No
 - a) 🦯 The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act, and 1980 and no work has been started without proper sanction. Jes
 - It has been found that the user agency the violated (Conservation) Act, and 1980 provisions. A b) X detals report as per para 1.9 of chapter 1, para C of Hand book of forest (Conservation) Act. 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance of otherwise of the proposal.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक (नोट:--रूप सं अंकित की जाय। " कि मिट्र के मिट्र के कि कि कि का कि

तत्याचे त इति Place 3103 Date ... 3 -- 2018

प्रभागाय बनाजिकाची बन्नोडा वन प्रभाग अल्मीका 1

(Smenam

State the purpose for which the forest kind is proposed to be NB Diversed.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest Government of

india for proposal involving less then 40 hectores of forest lond, the site last action report from Each is required

and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is remired

5.1

